



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238805
CG-DL-E-14092022-238805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]
No. 619]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

सं. 76/2022-सीमा शुल्क (गै.टे)

सा.का.नि. 699(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा सा.का.नि. 663 (अ), दिनांक 24 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

- खंड 4 में, उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।
- खंड 5 में, उपखंड (5) का लोप किया जाएगा।
- खंड 6 में, शब्द "या अंतरिती" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-140605/12/2021-ओ/ओ निदेशक (प्रतिअदायगी)-सीबीईसी]

गोपाल कृष्णा झा, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 सितंबर, 2021 को सा.का.नि. 663 (अ), दिनांक 24 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2022

No. 76/2022-Customs (N.T.)

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 663(E), dated the 24th September, 2021, namely:-

In the said notification, namely:-

- (i) In clause 4, sub-clause (2) shall be omitted.
- (ii) In clause 5, sub-clause (5) shall be omitted.
- (iii) In clause 6, the words “or the transferee” shall be omitted.

[F. No. CBIC-140605/12/2021-O/o Dir (Drawback)-CBEC]

GOPAL KRISHNA JHA, Director

Note : The principal notification No. 77/2021-Customs (N.T.), dated the 24th September, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 663 (E), dated the 24th September, 2021.